कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/05 अटल नगर, दिनांक 03/10/2023

✦आदेश✦

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अटल नगर के पत्र क्रमांक /MFP08/04-01/HO-5/Reg_Order/2023/13063 दिनांक 27/09/2023 द्वारा संचालक मण्डल की 94वीं बैठक दिनांक 21.09.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 94:02 में पारित निर्णय अनुसार प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों हेतु लागू सेवा नियम (प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्यस्थिति) नियम) की कण्डिका 08 (वेतन) एवं 11 (गोपनीय चरित्रावली) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन/प्रतिस्थापन का अनुरोध किया गया था । इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/01 दिनांक 27/09/2023 को संशोधित किये जाने हेतु पत्र क्रमांक 13403 दिनांक 03.10.2023 से पुनः अनुरोध किया गया है ।

अतः मैं अमरनाथ प्रसाद, कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, **छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2/सह/15 दिनांक 20.04.2001 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55(1) अंतर्गत् पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए** "प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम 2016" में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ । **<u>यह संशोधन मूल आदेश की तिथि दिनांक 27.09.2023 से ही प्रभावशील होगें</u>** ।

उक्त नियमों में :-

1. <u>सेवा नियम की कण्डिका 08 (वेतन) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाये :-</u>

वेतन - प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 के अनुरूप वेतन निम्नानुसार होगा :-

1. नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा तक संविदा वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुरूप राशि 20,675/- मासिक एकमुश्त । (इसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल है ।)
2. 10 वर्ष की सेवा के उपरांत संविदा वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुरूप राशि 23,350/- मासिक एकमुश्त । (इसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल है ।)
3. 20 वर्ष की सेवा के उपरांत संविदा वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुरूप राशि 26,490/- मासिक एकमुश्त । (इसमें प्रोत्साहन राशि भी शामिल है ।)

यह वेतन 10 वर्ष/20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अगली तिथि से स्वीकृत किया जायेगा परंतु नियम संशोधन के पूर्व की तिथि का कोई अवशेष नहीं दिया जायेगा। उच्चतर वेतन देने की प्रक्रिया शर्ते निम्नानुसार होगी :-

1. <u>चयन समिति</u> - प्रबंधकों के लिये वेतन निर्धारित करने हेतु एक चयन समिति होगी जो पात्रता/योग्यता का परीक्षण करेगी । समिति में प्रबंध संचालक जिला यूनियन अध्यक्ष, उप-प्रबंध संचालक जिला यूनियन एवं संबंधित संस्था के अध्यक्ष सदस्य होंगे ।
2. चयन समिति 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन करेगी । मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार अंक होगें:- क+ 05 अंक, क 04 अंक, ख 03 अंक, ग 02 अंक और घ 00 अंक

3/10/23

.......2

- 5 वर्षो का गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन का अंक 13 या उससे अधिक होना अनिवार्य है ।
- 5 में से किसी भी वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन "घ" श्रेणी का नहीं होना चाहिये ।
- प्रबंधक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित/ प्रचलित नहीं होनी चाहिये। अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाई जावेगी ।

3. चयन समिति उच्चतर वेतन हेतु उन्हीं समितियों के प्रबंधकों के लिये अनुशंसा करेगी जिन समितियों का अंकेक्षण अद्यतन स्थिति में (दिनांक 31.12.2023 के पूर्व स्वीकृति के स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 का इसी प्रकार जिस कैलेण्डर वर्ष में उच्चतर वर्ष में देय है उसके ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण पूर्ण होना चाहिये) पूर्ण हो चुका है। जब तक अंकेक्षण पूर्ण न हो जाये उच्चतर वेतन की स्वीकृति लंबित रहेगी । अंकेक्षण पूर्ण होने तक निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर आगामी माह की पहली तारीख से उच्चतर वेतन की पात्रता होगी। अंकेक्षण की अपूर्णता की अवधि में उच्चतर वेतन की पात्रता नहीं होगी ।

4. चयन समिति की अनुशंसायें संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति के संचालक मण्डल में प्रस्तुत कर उच्चतर वेतन दिये जाने का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा अनुमोदन के उपरांत भुगतान स्वीकृति संबंधित सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा दी जावेगी ।

2. <u>सेवा नियम की कण्डिका 11 (गोपनीय चरित्रावली) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किये जायेः-</u>

गोपनीय चरित्रावलीः-

I. प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति पर प्रबंधक की गोपनीय चरित्रावली का अंकन किया जायेगा।

II. गोपनीय चरित्रावली अंकन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

1. गोपनीय चरित्रावली प्रतिवेदन का प्रारूप (संघ द्वारा अनुमोदित) प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 15 दिवस पूर्व सभी समिति प्रबंधकों को उपलब्ध करायेगे तथा इसकी सूचना संबंधित समिति के अध्यक्ष को भी देगें।
2. प्रत्येक प्रबंधक वर्ष में किये गये अपने कार्य का ब्यौरा 30 जून के पूर्व समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
3. समिति के अध्यक्ष कार्यो का मूल्यांकन करते हुये अपना मतांकन अंकित करेगें एवं श्रेणी का निर्धारण करते हुये प्रतिवेदक अधिकारी की हैसियत से मतांकन हेतु संबंधित परिक्षेत्र के पोषक अधिकारी को दिनांक 31 अगस्त के पूर्व प्रेषित करेगें।
4. पोषक अधिकारी, प्रस्तुत गोपनीय प्रतिवेदन को समीक्षाकर्ता अधिकारी की हैसियत से मतांकन करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर के पूर्व उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन को अंतिम मतांकन हेतु प्रेषित करेगें।
5. उप-प्रबंध संचालक जिला यूनियन अपना अंतिम मतांकन दिनांक 31 दिसम्बर के पूर्व अंकित करेगें एवं गोपनीय प्रतिवेदन को प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय को भेजेगें। प्रबंध संचालक जिला यूनियन गोपनीय प्रतिवेदन को अभिलेख में सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करेगें तथा संबंधित प्रबंधक को उनका गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति सहित संसूचित करेगें।

........3

6. संसूचित किए जाने की अवधि से एक माह के भीतर प्रबंधक संबंधित जिला यूनियन प्रबंध संचालक को प्रतिकूल टीप/श्रेणीकरण में सुधार हेतु अभ्यावेदन दे सकेंगे, जिस पर प्रबंध संचालक, जिला यूनियन प्रतिवेदन वर्ष के आगामी 31 मार्च तक निर्णय लेगें। प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम होगा।

3/10/23
(अमरनाथ प्रसाद)
कार्यकारी संचालक सह पंजीयक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

पृ.क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/05A **अटल नगर, दिनांक 03/10/2023**

प्रतिलिपिः-

1. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. **समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक,** वनवृत्त छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
3. **समस्त प्रबंध संचालक,** जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित छत्तीसगढ़ को प्रेषित् कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त "प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्यस्थिति) नियम" की एक-एक प्रति आपके जिला यूनियन से सम्बद्ध सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को प्रदाय कर पावती प्राप्त कर, इस कार्यालय को एकजाई संकलित कर भिजवाएं ।
4. **महा प्रबंधक (प्रणाली),** संघ मुख्यालय रायपुर की ओर संघ की वेब-साईट में अपलोड हेतु प्रेषित् ।

3/10/23
कार्यकारी संचालक सह पंजीयक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर